Shri T. M. Kapse
H.A. Estt.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2008—पौष 21, शक 1929

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2008

अधिसूचना

क्रमांक 471/एफ 2-1/04/19/स्था-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा लोक निर्माण विभाग के (अराजपत्रित) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

(1) इन नियमों का नाम "लोक निर्माण विभाग के (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2007" है.

(2) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं :**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन सीधी भर्ती के लिये शासन द्वारा अनुमोदित चयन समिति ;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम "11" के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा ;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(च) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसंबर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग ;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनि अनुसूचित जाति ;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनि अनुसूचित जनजाति ;

(झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों के संलग्न अनुसूची ;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के सेवा (अराजपत्रित) सेवा ;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना :—** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकत प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन :—** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ के समय अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पद मूलतः धारण कर रहे हों.

(2) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि :—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उनसे संलग्न वेतनमान अनुसूची के उपबंधों के अनुसार होगा.

परन्तु सरकार समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में एवं वेतनमान में या तो स्थायी या अस्थायी आध वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. (1) **भर्ती का तरीका :—** इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्था

(क) सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा या मेरिट के आधार पर चयन एवं साक्षात्कार द्वारा.

(ख) सीमित प्रतियोगी परीक्षा से कार्यभारित सेवा के कर्मचारियों द्वारा.

(ग) पदोन्नति द्वारा जैसी अनुसूची-चार में दर्शाया गया है.

(घ) निर्दिष्ट सेवाओं में निर्दिष्ट पदों पर मौलिक/स्थानापन्न रूप से नियुक्त व्यक्तियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति

(2) उपनियम (1) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-दो में दर्शाये गये पदों की संख्या एवं प्रति किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए सेवा में किसी भी ऐसे विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिसे या जिन्हें भ

किसी विशिष्टि कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके और ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जायेगी.

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुये ऐसा करना अपेक्षित हो तो सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के लिए उन तरीकों से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगी, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे.

(5) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू रहेंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति :—** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता संबंधी शर्तें :—** चयन के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

(i) **आयु :—**

(क) उसने चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची तीन के कॉलम (3) एवं कालम (4) में विनिर्दिष्ट की गयी आयु की सीमा की शर्त पूरी करते हों.

(ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग का हो तो आयु की अधिकतम सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी.

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गयी सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु-सीमा शिथिलनीय होगी, अर्थात् :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वियन समितियों में कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो "छटनी किया गया सरकारी सेवक" हो, अपनी आयु में से पूर्व में की गयी समस्त स्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी हो कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु-सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से घोतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवान्मुक्त किया गया था.

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, अपनी आयु में से पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम

करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु-सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "भूतपर्वू सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गयी थी या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था.

(1) ऐसा "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो.

(2) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हें दूसरी बार नामांकित कर दिया गया हो, और जिन्हें :—

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो.

(3) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं जो संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों.

(4) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हें लगातार अवकाश पर रहने के कारण छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(5) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो.

(6) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं.

(7) ऐसे "भूतपर्वू सैनिक" जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो.

(च) विधवा तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु-सीमा 5 वर्ष अतिरिक्त शिथिलनीय होगी.

(छ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक हैं उच्चतर आयु सीम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दपंत्ति के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनी होगी.

(झ) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्री युवा पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ञ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं उच्चतर आयु सीमा अधिक 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ट) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गयी सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये.

टिप्पणी :- (1) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त खंड (घ) के उपखंड (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाये गये हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं तथापि यदि आवेदन करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की गई हो तो वे पात्र बने रहेंगे.

टिप्पणी :- (2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थी को चयन के लिए उपसंजात होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी.

(ठ) आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं :—** अभ्यर्थी के पास अनुसूची-तीन में दर्शायी गयी सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए.

(3) **फीस :—** अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता :—** अभ्यर्थियों की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे परीक्षा/चयन के लिये निरर्हित ठहराया जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :—** परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है. परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा.

11. (1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :—** नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति गठित की जायेगी इसमें तीन सदस्य होंगे.

(एक) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जावेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे.

(दो) परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर, जारी किये गये आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जायेगी.

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती :—**

(एक) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर अवधारित करे.

(दो) चयन समिति द्वारा सेवा में अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा, और

(तीन) चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर गठित की जायेगी.

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य हैं नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रेंक कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किया जा सकेगा.

(6) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं को नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे.

(7) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और सक्षम अधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है वह सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

(8) विकलांगों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण रहेगा.

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची :—**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हैं, तैयार करेगा, सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिसमें उनके नाम सूची में आये हैं.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम शामिल किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी जांच करने पश्चात् जैसे कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. **परिवीक्षा :**—सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा.

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठन की जायेगी.

परन्तु इस उपनियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा.

(2) समिति का सम्मिलन ऐसे अंतरालों से किया जाये जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक का नहीं होगा.

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति की जायेगी.

(4) रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया उपनियम 3 में उल्लेखित नियम एवं सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार रहेगी.

15. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता संबंधी शर्तें :—**

(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति उन समस्त मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों पर या उसके समतुल्य घोषित अन्य पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) जैसा कि सरकार द्वारा अनुसूची-चार के कालम (3) में विनिर्दिष्ट है पूर्ण कर ली

हो और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों.

स्पष्टीकरण :- ***पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति :-*** संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं.

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण किया जायेगा.

(3) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी.

उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जाना :—

(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो यह सूची चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी.

(2) चतुर्थ श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के पद पर एवं चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिये व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता (सिनियारिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी.

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 के अनुसार चयन सूची की तैयारी के समय सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम-दो में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम से रखे जायेंगे.

स्पष्टीकरण :- ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात् चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

चयन सूची :—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कालम-दो में दर्शाये गये पदों से अनुसूची-चार के कालम चार में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(2) जिस कलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिये चयन सूची तैयार की जावेगी उसकी विधि मान्यता उस कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक मान्य रहेगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा.

5. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :—**

(1) चयन सूची से सम्मिलित व्यक्ति की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी.

(2) साधारणत: उस व्यक्ति की जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जबकि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाये जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो.

9. **परिवीक्षा :—** सेवा में पदोन्नत किये गये प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्ति किए जायेंगे.

निर्वचन :— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

21. **शिथिलिकरण :—** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि व राज्यपाल की किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से जो उसे उचित तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है.

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

22. **व्यावृत्ति :—** इन नियमों में की गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों/आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

23. **निरसन और व्यावृत्ति :—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, उप-सचिव.

अनुसूची एक
(नियम 5 देखिये)

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या सिविल	विद्युत/यांत्रिक	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			तृतीय श्रेणी तकनीकी-(कार्यपालक)				
1.	उप अभियंता	1044	94	अराजपत्रित राज्यव्यापी काडर	5000-150-8000	प्रमुख अभियंता	
			तृतीय श्रेणी (तकनीकी)-कार्यपालक से भिन्न				
2.	मुख्य मानचित्रकार	01	01	अराजपत्रित राज्यव्यापी काडर	5000-150-8000	प्रमुख अभियंता	
3.	मानचित्रकार	68	05	अराजपत्रित राज्यव्यापी काडर	5000-150-8000	प्रमुख अभियंता	
4.	सहायक मानचित्रकार	224	04	अराजपत्रित राज्यव्यापी काडर	4000-100-6000	प्रमुख अभियंता	
5.	अनुरेखक	49	04	अराजपत्रित राज्यव्यापी काडर	3050-75-3950-80-4590	प्रमुख अभियंता	
6.	अनुसंधान सहायक	06	-	अराजपत्रित राज्यव्यापी काडर	5000-150-8000	प्रमुख अभियंता	
7.	प्रयोगशाला सहायक	06	-	अराजपत्रित राज्यव्यापी काडर	3050-75-3950-80-4590	प्रमुख अभियंता	
8.	चालक	13	-	अराजपत्रित राज्यव्यापी काडर	3050-75-3950-80-4590	प्रमुख अभियंता	
			तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)				
1.	परिक्षेत्रीय अधीक्षक	06	-	राज्यव्यापी काडर	5500-175-9000	प्रमुख अभियंता	

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
2.	अधीक्षक	15	-	राज्यव्यापी काडर	5000-150-8000	प्रमुख अभियंता	
3.	वरिष्ठ निज सहायक	01	-	राज्यव्यापी काडर	6500-200-10500	प्रमुख अभियंता	
4.	निज सहायक	08	-	राज्यव्यापी काडर	5000-150-8000	प्रमुख अभियंता	
5.	शीघ्रलेखक	20	-	राज्यव्यापी काडर	4500-125-7000	-	
6.	स्टेनो टायपिस्ट	57	-	राज्यव्यापी काडर	3050-75-3950-80-4590	-	
7.	सहायक ग्रेड-1	47	-	राज्यव्यापी काडर	4500-125-7000	-	
8.	सहायक ग्रेड-2	370	-	राज्यव्यापी काडर	4000-100-6000	-	
9.	सहायक ग्रेड-3	802	-	राज्यव्यापी काडर	3050-75-3950-80-4590	-	
10.	सहायक प्रोग्रामर	06	-	राज्यव्यापी काडर	5000-150-8000	-	
	चतुर्थ श्रेणी (राज्यव्यापी काडर से भिन्न)						
1.	जमादार	01	-	राज्यव्यापी काडर से भिन्न	2610-60-3150-65-3540	प्रमुख अभियंता	
2.	दफ्तरी	26	-	-तदैव-	2610-60-3150-65-3540	प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता	
3.	प्रेसमेन	01	-	-तदैव-	2610-60-3150-65-3540	प्रमुख अभियंता	

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
4.	प्रयोगशाला परिचारक	05	-	राज्यव्यापी काडर से भिन्न	2750-70-3800-75-4400	प्रमुख अभियंता	
5.	भृत्य	685	-	-तदैव-	2550-55-2660-60-3200	प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता.	
6.	चौकीदार	12	-	-तदैव-	2550-55-2660-60-3200	प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता.	
7.	अभिलेखापाल	01	-	-तदैव-	2610-60-3150-65-3540	प्रमुख अभियंता	
8.	वाटरमेन	06	-	-तदैव-	2550-55-2660-60-3200	प्रमुख अभियंता	
9.	स्वीपर	06	-	-तदैव-	2550-55-2660-60-3200	प्रमुख अभियंता	

अनुसूची दो

(नियम 6 तथा 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम (एक) वर्ग (दो) पदों का विवरण	कर्त्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों का प्रतिशत		अन्य सेवाओं में से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतर	विभागीय चयन समिति के सदस्य	टिप्पणियां
			सीधे भरती द्वारा देखिये नियम 6 (1) (क)	सेवा के मौलिक सदस्यों की पदोन्नति द्वारा देखिये नियम 6 (1) (ख)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			तृतीय श्रेणी तकनीकी - (कार्यपालक)				
	वर्ग-तीन						
लोक निर्माण विभाग	उपअभियंता	1138	95%	5%		1. प्रमुख अभियंता या उसके द्वारा मनोनीत-अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता-सदस्य 3. अधीक्षण अभियंता-सदस्य 4. अधीक्षण अभियंता-सदस्य	
			तृतीय श्रेणी (तकनीकी)-कार्यपालक से भिन्न				
लोक निर्माण विभाग	मुख्य मानचित्रकार (प्रमुख अभियंता का कार्यालय)	01	-	100%	-	-तदैव-	
	मानचित्रकार	73	-	100%	-	-तदैव-	
	सहायक मानचित्रकार	228	50%	50%	-	-तदैव-	
	अनुरेखक	53	100%		-	-	
	अनुसंधान सहायक	06	100%		-	-	
	प्रयोगशाला सहायक	06	100%		-	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)				
लोक निर्माण विभाग	परिक्षेत्रीय अधीक्षक	06	-	100%	-	1. प्रमुख अभियंता या उसके द्वारा मनोनीत-अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता-सदस्य 3. अधीक्षण अभियंता-सदस्य 4. अधीक्षण अभियंता-सदस्य	
	अधीक्षक	15	-	100%	-	-तदैव-	
	वरिष्ठ निज सहायक	1	-	100%	-	-तदैव-	
	निज सहायक	8	-	100%	-	-तदैव-	
	शीघ्र लेखक	20	50%	50%	-	-तदैव-	
	स्टेनो टायपिस्ट	57	100%	-	-	-	
	सहायक ग्रेड-1	47	-	100%	-	1. प्रमुख अभियंता या उसके द्वारा मनोनीत-अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता-सदस्य 3. अधीक्षण अभियंता-सदस्य 4. अधीक्षण अभियंता-सदस्य	
	सहायक ग्रेड-2	370	-	100%	-	-तदैव-	
	सहायक ग्रेड-3	802	75%	25%	-	-तदैव-	
	सहायक प्रोग्रामर	6	100%	-	-	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	चतुर्थ श्रेणी स्थापना (राज्यव्यापी काडर से भिन्न)						
लोक निर्माण विभाग	जमादार	1	-	100%	-	1. प्रमुख अभियंता या उसका मनोनीत-अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता-सदस्य 3. अधीक्षण अभियंता-सदस्य 4. अधीक्षण अभियंता-सदस्य	
	दफ्तरी	26	-	100%	-	-तदैव-	
	प्रेसमेन	1	-	100%	-	-तदैव-	
	प्रयोगशाला परिचारक	5	-	100%	-	-तदैव-	भृत्य से भरा जायेगा.
	भृत्य	685	100%	-	-	-	
	चौकीदार	12	100%	-	-	-	
	अभिलेखापाल	1	-	100%	-	1. प्रमुख अभियंता या उसका मनोनीत-अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता-सदस्य 3. अधीक्षण अभियंता-सदस्य 4. अधीक्षण अभियंता-सदस्य	भृत्य से भरा जायेगा.
	वाटर मेन	6	100%	-	-	-	
	स्वीपर	6	100%	-			

अनुसूची तीन
(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम (1)	सेवा का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	(निर्धारित) शैक्षणिक अर्हतायें (5)	टिप्पणियां (6)
	तृतीय श्रेणी (तकनीकी कार्यपालिक)				
लोक निर्माण विभाग	उपअभियंता	20 वर्ष	35 वर्ष	1. राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल, विद्युत तथा मेकेनिकल यांत्रिक का तीन साल डिप्लोमा. 2. निचले पद पर कार्यरत अनुरेखक/सहा. मानचित्रकार के लिए 5 प्रतिशत पद सुरक्षित रखा जावे.	
	तृतीय श्रेणी (तकनीकी कार्यपालिक से भिन्न)				
	सहायक मानचित्रकार	18 वर्ष	35 वर्ष	वास्तुकला में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) या इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सिविल/इलेक्ट्रीकल/मैकेनिकल यांत्रिकी में मानचित्रकला (ड्राफ्ट्स मेनशीप) में प्रमाण-पत्र. या सर्वेक्षण का व्यवसायिक प्रमाण-पत्र (सर्वेयर ट्रेड सर्टिफिकेट) या इंडस्ट्रीयल कांउसिल आफ वोकेशनल ट्रेनिंग (त्रिवर्षीय) का शिक्षुता प्रमाण-पत्र.	
	अनुरेखक	18 वर्ष	35 वर्ष	ड्राईंग को एक विषय के रूप में लेकर छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समतुल्य कोई परीक्षा पास का प्रमाण-पत्र या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता किसी अन्य बोर्ड या संस्था का प्रमाण-पत्र. या छत्तीसगढ़ बोर्ड या मान्यता प्राप्त किसी अन्य समतुल्य बोर्ड का उच्चतर माध्यमिक (तकनीकी) परीक्षा का प्रमाण-पत्र.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	अनुसंधान सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	बी. एस. सी. की फिजिक्स तथा केमिस्ट्री प्रथम श्रेणी में उपाधि अथवा फिजिक्स के साथ एम. एस. सी. की उपाधि.	
	प्रयोगशाला सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	विज्ञान की इन्टर परीक्षा भौतिक तथा रसायन शास्त्र के साथ अथवा बी. एस. सी. (पार्ट-1) रसायन शास्त्र तथा भौतिक शास्त्र के साथ.	
	चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	8वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं वाहन चालन का प्रमाण-पत्र	
			तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)		
	शीघ्र लेखक	18 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण-पत्र (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण तथा लघु लेखन तथा मुद्रलेखन में छत्तीसगढ़ के शार्टहैन्ड तथा टाइप राइटिंग के बोर्ड से प्राप्त प्रमाण-पत्र साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण.	
	स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण-पत्र (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण तथा लघु लेखन तथा मुद्रलेखन में छत्तीसगढ़ के शार्टहैन्ड तथा टाइप राइटिंग के बोर्ड से प्राप्त प्रमाण-पत्र साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण.	
	सहायक ग्रेड 3	18 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण-पत्र (10+2) एवं मान्यता प्राप्त मंडल से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा 25 शब्द प्रतिमिनट और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कम्प्यूटर कोर्स.	
	सहायक प्रोग्रामर	18 वर्ष	35 वर्ष	प्रथम श्रेणी में कम्प्यूटर साईंस या इन्फार्मेशन टेक्नालाजी में छ. ग. के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पत्रोपाधि या समकक्ष पत्रोपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर सेंटर से कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का कम से कम दो वर्ष का अनुभव. या गणित, भौतिकी/सांख्यिकी विषय के साथ में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ 1 वर्ष का पी. जी. डी. सी. ए. एवं किसी मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर केन्द्र	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			चतुर्थ श्रेणी स्थापना		
	प्रयोगशाला अनुचर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवीं कक्षा पास	
	भृत्य	18 वर्ष	35 वर्ष	पांचवीं कक्षा पास	
	वाटर मेन	18 वर्ष	35 वर्ष	पांचवीं कक्षा पास	
	स्वीपर	18 वर्ष	35 वर्ष	पांचवीं कक्षा पास	
	चौकीदार	18 वर्ष	35 वर्ष	पांचवीं कक्षा पास	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)			
लोक निर्माण विभाग	अधीक्षक	न्यूनतम की आवश्यकता नहीं	परि. अधीक्षक	1. प्रमुख अभियंता या उसका मनोनीत-अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता-सदस्य 3. अधीक्षण अभियंता-सदस्य 4. अधीक्षण अभियंता-सदस्य	इन प्रवर्गों में पदोन्नति हेतु सुपीरियर क्लर्कशीप परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.
	सहायक ग्रेड 1	न्यूनतम की आवश्यकता नहीं	मंडल अधीक्षक	-तदैव-	-तदैव-
	सहायक ग्रेड 2	न्यूनतम की आवश्यकता नहीं	सहायक ग्रेड-1	-तदैव-	-तदैव-
	सहायक ग्रेड 3	5 वर्ष	सहायक ग्रेड 2	-तदैव-	-
	निज सहायक	न्यूनतम की आवश्यकता नहीं	वरिष्ठ निज सहायक	-तदैव-	-
	शीघ्र लेखक (मंडल कार्यालय)	-तदैव-	निज सहायक	-तदैव-	-
	स्टेनो टायपिस्ट	5 वर्ष	शीघ्र लेखक	-तदैव-	-
	डाटा एंट्री ऑपरेटर	10 वर्ष	सहायक प्रोग्रामर	-तदैव-	-
		चतुर्थ श्रेणी-स्थापना			
	भृत्य/जमादार/प्रेसमेन/दफ्तरी/अभिलेखापाल/प्रयोगशाला अनुचर.	05 वर्ष एवं मान्यताप्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण (10-2)	सहायक ग्रेड 3	-तदैव-	-
	दफ्तरी	न्यूनतम की आवश्यकता नहीं	अभिलेखापाल	-तदैव-	-
	भृत्य	5 वर्ष एवं 8वीं पास	जमादार, प्रेसमेन, दफ्तरी तथा प्रयोगशाला अनुचर.	-तदैव-	-

अनुसूची चार

(नियम 6 तथा 13 देखिये)

विभाग का नाम	उस सेवा अथवा पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	आगामी उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होने की न्यूनतम अवधि	उस सेवा अथवा पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जावेगी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		तृतीय श्रेणी (तकनीकी कार्यपालिक)			
लोक निर्माण विभाग	(अ) निचले पद पर कार्यरत डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी अनुरेखक/सहायक मानचित्रकार आदि.	5 वर्ष	उपअभियंता	1. प्रमुख अभियंता या उसका मनोनीत-अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता-सदस्य 3. अधीक्षण अभियंता-सदस्य 4. अधीक्षण अभियंता-सदस्य	
		तृतीय श्रेणी (तकनीकी कार्यपालिक से भिन्न)			
	मानचित्रकार	3 वर्ष	मुख्य मानचित्रकार	1. प्रमुख अभियंता या उसका मनोनीत-अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता-सदस्य 3. अधीक्षण अभियंता-सदस्य 4. अधीक्षण अभियंता-सदस्य	
	सहायक मानचित्रकार	1. ऐसे सहायक मानचित्रकार के लिए 05 वर्ष, जो सहायक मानचित्रकार पद के लिए विहित अर्हता रखता हो. 2. ऐसे अन्य लोगों के लिए 10 वर्ष जो उपरोक्त 01 के अन्तर्गत न आते हों.	मानचित्रकार	-तदैव-	

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
(दाऊ कल्याण सिंह भवन–रायपुर)

क्रमांक एफ 9–4/2005/1–3
प्रति,
रायपुर, दिनांक 09-01-2006

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल छत्तीसगढ़ बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़

विषय:– शीघ्रलेखक, सहायक ग्रेड–3 एवं स्टेनो टायपिस्ट के पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि के संबंध में ।

राज्य शासन के द्वारा समस्त शासकीय कार्यालयों में सीधी भरती के शीघ्रलेखक, सहायक ग्रेड–3 एवं स्टेनो टायपिस्ट के पदों पर नियुक्ति के लिए शासन द्वारा पूर्व से निम्नानुसार शैक्षणिक अर्हताये निर्धारित की गई है –

(अ) शीघ्रलेखक

(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्क्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण या भरती नियम के अनुसार निर्धारित योग्यता ।

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद से

(क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए क्रमशः 100 शब्द तथा 25 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा

कार्यालय ... क्रमांक 380/6 दिनांक 23/1/06 सहपत्र ... सिरपुर भवन रायपुर (छ.ग.)

(ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखन के लिए क्रमशः 100 शब्द तथा 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा तथा

(ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए ऊपर खंड(क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अंग्रेजी तथा हिन्दी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा

उतीर्ण कर लेने का प्रमाण पत्र धारण करता हो ।

(ब) स्टेनो टायपिस्ट

(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्क्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण या भरती नियम के अनुसार निर्धारित योग्यता ।

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी मुद्रलेखन परीक्ष उत्तीर्ण साथ ही हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति ।

(स) <u>सहायक ग्रेड-3</u>

(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्क्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण या भरती नियम के अनुसार निर्धारित योग्यता ।

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी मुद्रलेखन परीक्ष उत्तीर्ण ।

2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त शीघ्रलेखक सहायक ग्रेड–3 एवं स्टेनों टायपिस्ट के लिये निर्धारित अर्हताओं में निम्नानुसानर अर्हता और जोडी जाय :–

"किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाणं–पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10,000 की "डिप्रेशन प्रति घंटा की गति" होना चाहिये है ।"

3/ अतः भर्ती नियमों में उपरोक्तानुसार संशोधन की कार्यवाही तत्काल की जाय। इन निर्देशों के जारी होने के दिनांक के पश्चात कोई भी नियुक्ति पूर्व प्रावधान अनुसार नहीं की जाय ।

(एस.आर. सेजकार) 3/1/02
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

—4—

(5)

पृ.क्र. एफ 9–4/2005/1–3 रायपुर, दिनांक 9/1/2006

प्रतिलिपि:–

1. राज्यपाल के सचिव,छत्तीसगढ़ राजभवन,रायपुर
2. रजिस्ट्रार,छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर,
3. सचिव,छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
4. माननीय मुख्यमंत्री जी/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक,छत्तीसगढ़
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,रायपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,छत्तीसगढ़ रायपुर
7. सचिव,राज्य निर्वाचन आयोग, ,छत्तीसगढ़ रायपुर,छत्तीसगढ़ रायपुर
8. सयुक्त सचिव, (स्थापना)/मुख्य लेखाधिकारी,मंत्रालय,रायपुर
9. आयुक्त,जनसंपर्क छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ
10. आयुक्त,छत्तीसगढ़ भवन,नई दिल्ली
11. प्रमुख सचिव,छत्तीसगढ़ शासन,सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस.आर. सेजकार) 9/1/06

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

(12)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 492 001

क्रमांक एफ–9– 4/2005/1–3 रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल, 2005

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
क्रमांक 2157/07
दिनांक 19/4/05
सहायक ......
श्री. नि. वि. निरपुर भवन रायपुर (छ.ग.)

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष,राजस्व मण्डल,छत्तीसगढ़ बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी(जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़

विषयः– शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता ।

उपरोक्त विषय पर राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि समस्त शासकीय कार्यालयों में सहायक ग्रेड–3 एवं स्टेनो टायपिस्ट के पदों पर नियुक्ति के लिये, छत्तीसगढ शासन, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित संस्थओं द्वारा जारी कम्प्यूटर विषय में परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मान्य किये जाये–

1. कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट –एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त आई.टी.आई.से
2. प्रदेश के पॉलीटेकनिक से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट या कम्प्यूटर सांईस या इन्फर्मेशन टेक्नालॉजी में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष डिप्लोमा
3. पं.रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर / गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर/इंदिरा मुक्त गाधी विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय से एक वर्षीय Post Graduate Diploma in Computer Application या समकक्ष डिप्लोमा

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.आर.सेजकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(13)

पृ. क्रमांक एफ–9– 4/2005/1–3 रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल,2005

प्रतिलिपि:–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
2. रजिस्ट्रार , छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
4. माननीय मुख्यमंत्री जी/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/ निज सहायक, छत्तीसगढ़
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
6 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
8. संयुक्त सचिव (स्थापना)/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
9. आयुक्त, जनसंपर्क छत्तीसगढ़ शासन , रायपुर की ओर सूचनार्थ
10. आयुक्त,छत्तीसगढ भवन,नई दिल्ली
11 प्रमुख सचिव,छत्तीसगढ शासन,सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,रायपुर

की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस.आर.सेजकर)
अवर सचिव.
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग